संख्या– 748/VI/2004–58 पर्य0/2004

प्रेषक,

ए0के0 घोष,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक, पर्यटन,
पटेल नगर,
देहरादून।

पर्यटन अनुभाग देहरादून दिनांक 29 अक्टूबर,2004

विषयः–वित्तीय वर्ष 2004–05 के अन्तर्गत पर्यटन विभाग के भूमि अध्याप्ति/कय मद में प्राविधानित मद में सम्पूर्ण अवशेष धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–634 VI/2004–58 पर्य0/2004 दिनांक 16–09–2004 एवं आपके पत्रांक–219/2–6–215/2003, दिनांक 25–08–2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उपरोक्त शासनादेश दिनांक 16–09–2004 द्वारा स्वीकृत धनराशि को घटाते हुये वित्तीय वर्ष 2004–05 में पर्यटन विभाग के भूमि अध्याप्ति/कय मद में प्राविधानित सम्पूर्ण अवशेष रू0 7.10 लाख (रूपये सात लाख दस हजार मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु निदेशक, पर्यटन के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के अधीन स्वीकृत की जाती है कि मितिव्यय मदों में आंवटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आंवटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमा या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है, ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3– स्वीकृति धनराशि का आहरण शासनादेश संख्या–634VI/2004–58 पर्य0/2004 दिनांक 16–09–2004 में इंगित शर्तो के अधीन ही किया जायेगा।

4– स्वीकृत धनराशि का व्यय यथाआवश्यकतानुसार ही किया जायेगा एवं 31–03–2005 तक पूर्ण उपयोग कर वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमांण पत्र यथाशीध्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

5– यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी योजना/निर्माण कार्य हेतु धनराशि का दोहरा आहरण नही किया जाय। इस हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

NIC 623

6– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय–80– सामान्य–आयोजनागत –104– सम्बर्द्धन तथा प्रचार–04–राज्य सैक्टर–19–भूमि अध्याप्ति/कय–पर्यटक आवास गृहों/पर्यटन विकास योजनाओं के लिये–42–अन्य व्यय मद के नामें डाला जायेगा।

7– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग की अशा0स0–1633 वित्त अनुभाग–3/2004 दिनांक 20 अक्टूबर, 2004 में प्राप्त इनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(ए0के0 घोष)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या– –VI /2004–58 पर्य0/2004, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, माजरा देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– जिलाधिकारी, चमोली ।
4– जिला पर्यटन विकास अधिकारी चमोली।
5– वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
6– श्री एल0एम0पन्त, अपर सचिव वित्त ।
7–अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
8–एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय परिसर।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

26/10/04

(ए0के0 घोष)
अपर सचिव।